13/A

<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर</u>
<u>पीठासीन अधिकारी–श्री भगवत सिंह देवल</u>

प्रार्थना पत्र संख्या 03/15

तारीख रजू– 18/03/15

1– दीनदयाल पुत्र श्री रामसहाय जाति ब्राहम्ण निवासी उदेईखुर्द
2– सुरेशचन्द्र पुत्र श्री हरिप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी उदेईखुर्द
3– दुर्गाप्रसाद पुत्र श्री हरिशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी उदेईखुर्द

––– प्रार्थी

बनाम

1– सीताराम पुत्र श्री केदार जाति ब्राहमण निवासी उदेईखुर्द
2– श्रीमती ब्रहमाकुमारी पुत्री श्री केदारलाल जाति ब्राहम्ण निवासी उदेईखुर्द
3– अध्यक्ष भूमि आवंटन सलाहकार समिति (उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी)

–––– अप्रार्थीगण

वकील प्रार्थी :– श्री अवधेश त्रिवेदी
वकील अप्रार्थी :– श्री श्याम मोहन शर्मा

<u>निर्णय</u> दिनांक–28/06/2017

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता केदार पुत्र श्री [illegible] निवासी उदेईखुर्द तहसील गंगापुर सिटी को दिनांक 28/06/1976 को खसरा 411 रकबा 1 बीघा 1 विस्बा भूमि के किये गये आबंटन आदेश के विरूद्व प्रस्तुत [illegible] हुए भूमि आबंटन आदेश को निरस्त करने बाबत निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी तथा आबंटन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की [illegible] अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित एवं अप्रार्थी 3 की और से परोकार सरकार उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे [illegible] कि ग्राम उदेईखुर्द में स्थित भूमि खं0नं0 411 में सदैव से पानी इकट्ठा होने के लिए गढडा(पोखर) रहा है। इस पोखर से खेतों की सिंचाई होती है। आंवटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी के पिता के हक में उक्त वाद आराजीयात गलत रूप से आवंटन की गई है। जो निरस्त योग्य है। गत खं0नं0 411 का नवीन खं0नं0

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

15/A

सेटलमेन्ट के दौरान 2062 बनाया गया है। खं0नं0 2062 की किस्म गै0मु0 गड्डा सिवायचक दर्ज है। आवंटी की फौत हो चुका है। उसके वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 है। अप्रार्थी संख्या 1 सीताराम ने इस भूमि खं0नं0 2062 को मिट्टी भरकर समतल करने व इसका स्वरूप गै0मु0गड्डे से बदलने की चेष्टा की है जिससे उक्त भूमि खातेदारी में दर्ज हो सके। जिस क्रम में प्रार्थी दिनदयाल ने भी तहसीलदार के यहाँ शिकायत की है कि अप्रार्थी संख्या 1 गड्डें को समतल कर रहा है। उस शिकायत पर राजस्व कर्मचारियों ने मौका देखा तथा खं0नं0 2062 को पानी भरने का गड्डा बताया गया परन्तु इस खसरा नम्बर 2062 को अप्रार्थीगण की गैरखातेदारी में होना बताया है। प्रार्थीगण गैरसायल से गडडें को समतल नहीं करने व पानी के उपयोग में बाधा न डालने के लिए कहते है तो अप्रार्थी संख्या 1 झगडा करने को आमादा होता है। अप्रार्थी संख्या 1 ने माह सितम्बर 2014 में स्पष्ट रूप से कहा कि उसके पिता को भूमि गत खसरा 411 आवंटन हुई है इसीलिये वह इस गडडे को समतल करेगा इस पर प्रार्थीगण ने आंवटन के कागजात व दीगर राजस्व कागजात निकलवाये जिनके देखने से जाहिर हुआ है कि गत खसरा नं0 411 स्थित ग्राम उदेईखुर्द केदार पुत्र रामचंद को आवंटन हुआ है। वह भूमि गै0मु0तलाबी दर्ज रही है। इस प्रकार भूमि का आंवटन निरस्त योग्य है, साथ ही वकील प्रार्थी ने उक्त आवंटन आदेश दिनांक 28/06/1976 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने वकील प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुए तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश आवंटन नियम के मुताबिक विधि सम्वत तरीके से पारित किया गया है। अप्रार्थी के पिता केदार पुत्र रामचन्द्र के द्वारा आवंटन–पत्र पेश किया गया जिस पर हल्का पटवारी की रिपोर्ट ली गई तथा आवंटन सलाहकार समिति के पूर्ण बैठक में खं0नं0 411 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा आवंटन किये जाने के सिफारिश की गई तत्पश्चात माननीय तहत न्यायालय ने अप्रार्थी के पिता को उक्त आवंटीत आराजीयात आवंटन की गई तथा तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा हल्का पटवारी ने उक्त खं0नं0 का कब्जा अप्रार्थी के पिता को दिया गया। इस प्रकार माननीय तहत न्यायालय ने आवंटन नियम की पालना करते हुए उक्त भूमि का आवंटन अप्रार्थी के पिता को किया गया तथा आवंटी द्वारा आवंटन नियम की पूर्ण पालना की गई है एवं उक्त आवंटन छोटी पट्टी के रूप में किया गया है तथा इस भूमि पर अप्रार्थी ने कुण्डा आदि हेतु निर्माण करवाया था। इसे भू–प्रबन्ध विभाग ने खड्डा गलत रूप से अंकित कर दिया था। प्रार्थीगण का उक्त आराजीयात से कोई संबंध व वास्ता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को नाजायज परेशान करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया है। आंवटी ने कोई भी फ्रोड या मिसरिप्रेजन्टेसन के आधार पर उक्त आवंटन नहीं कराया है तथा इसी के साथ उक्त भूमि को लेकर सक्षम न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के यहाँ मु0नं0 87/99 में पारित आदेश डिक्री दिनांक 22/05/2002 को पारित किया गया है। इसमें भी अप्रार्थीगण को उक्त खं0नं0 2062 रकबा 24 एयर वाके ग्राम उदेई खुर्द का गैरखातेदार धोषित

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

15/A

कर राजस्व रिकोर्ड में गैरखातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये है तथा निलान क्षेत्रफल से साबिक खं0नं0 411 से हाल नं0 2062 बनना बताया है। इससे स्पष्ट है कि माननीय उप जिला कलेक्टर ने साक्ष्य उपरांन्त अप्रार्थी को वाद–पत्र डिक्री किया है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र 41 वर्ष पश्चात न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) खारिज फरमाया जावे।

विद्वान वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा आबंटन संबंधी पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है अप्रार्थी के पिता केदार पुत्र रामचन्द्र के द्वारा प्रस्तुत आवंटन–पत्र के पर हल्का पटवारी की रिपोर्ट ली गई तथा आवंटन सलाहकार समिति के पूर्ण कोरम द्वारा आवंटन किये जाने के सिफारिश की गई। तत्पश्चात अदालत मातहत द्वारा उक्त आवंटीत आराजीयात आबंटन की गई तथा उक्त आंवटन छोटी पट्टी के रूप में किया गया है तथा वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस अवगत कराया कि उक्त आवंटी भूमि पर अप्रार्थी ने कुण्डा पशु हेतु निर्माण करवाया था। इसे भू–प्रबन्ध विभाग ने खड्डा गलत रूप से अंकित कर दिया था। न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के यहॉ मु0नं0 87/99 में पारित आदेश/डिक्री दिनांक 22/05/2002 को पारित किया गया है। इसमें भी प्रार्थीगण को हाल खं0नं0 2062 रकबा 24 एयर वाके ग्राम उदेई खुर्द का गैरखातेदार घोषित कर राजस्व रिकोर्ड में गैरखातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये है तथा निलान क्षेत्रफल से साबिक खं0नं0 411 से हाल नं0 2062 बनना बताया है। इससे स्पष्ट है कि उप जिला कलेक्टर ने साक्ष्य उपरांन्त अप्रार्थी को वाद–पत्र डिक्री किया है। अतः हमारे विनम्र अभिमत में यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि जब नम्बरी वाद खारिज हो जाता होतो प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14(4) के तहत उस ही भूमि के संबंध में आबंटन प्रतिपादित किया जाना विधि के विपरीत है। अतः ऐसी स्थिती में आंवटन निरस्त किया जाना उचित नहीं होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 14(4) एल0आर0एक्ट खारिज किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता के हक मे किया गया आबंटन दिनांक 28/06/1976 ग्राम उदेईखुर्द यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28/06/2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया।

22/6/17

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर